भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1610
दिनांक 13 फरवरी, 2025

'सतत' योजना के अंतर्गत संपीड़ित बायो-गैस संयंत्र की स्थापना

1610. श्री बलभद्र माझी:
श्री दामोदर अग्रवाल:
श्री पी.पी. चौधरी:
श्री मनोज तिवारी:
श्री दिलीप शइकीया:
डॉ. भोला सिंह:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:
श्री रमेश अवस्थी:
श्री लुम्बा राम:
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा गैस आधारित अर्थव्यवस्था के विस्तार को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ ऊर्जा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, दूरस्थ और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों, विशेषकर नीति आयोग द्वारा निर्दिष्ट आकांक्षी जिलों, में पाइपलाइन अवसंरचना का विस्तार करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) किफायती परिवहन हेतु संवनीय विकल्प (सतत) योजना के अंतर्गत लघु उद्यमियों को संपीड़ित बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना करने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा रहा है;

(ग) उपभोक्ताओं और व्यवसायों को बायोडीजल और इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल जैसे नवीकरणीय ईंधनों को अपनाने के लिए क्या प्रोत्साहन उपलब्ध हैं; और

(घ) क्या ऊर्जा की अधिक खपत करने वाले उद्योगों के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने हेतु कोई विशिष्ट उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क): दिनांक 30.09.2024 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय गैस ग्रिड का निर्माण करने और देश भर में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयोजन से लगभग 24,945 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का नेटवर्क प्रचालित है और 10,805 किलोमीटर का पाइपलाइन निर्माणाधीन है। पाइप्ड

नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन प्रदान करना, संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) स्टेशनों की स्थापना करना और पाइपलाइन अवसंरचना को बिछाना नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास का हिस्सा है और इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा अधिकृत कम्पनियों द्वारा उनके न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) के अनुसार किया जाता है। स्वच्छ ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग बढ़ाने के लिए, पीएनजीआरबी ने नीति आयोग द्वारा नामित आकांक्षाशील जिलों सहित देश के कुल मुख्य भूमि के लगभग 100% हिस्से को आच्छादित करते हुए 307 भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज) को अधिकृत किया है। दिनांक 31.12.2024 की स्थिति के अनुसार अधिकृत कम्पनियों ने देश भर में 2.75 करोड़ पीएनजी(डी) कनेक्शन, 4237 सीएनजी स्टेशन और 3.40 लाख इंच-किलोमीटर पाइपलाइन के यथा-आनुपातिक लक्ष्य की तुलना में 1.42 करोड़ पीएनजी(डी) कनेक्शन प्रदान किए हैं, 7513 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए हैं और 05.65 लाख इंच-किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई है।

(ख): सरकार ने देश भर में संपीडित जैव-गैस (सीबीजी) संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इन कदमों में तेल और गैस विपणन कम्पनियों (ओजीएमसीज) के साथ दीर्घकालिक समझौतों के माध्यम से सीबीजी के उठान के लिए सुनिश्चित मूल्य; नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम की महत्वपूर्ण योजना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सभी प्रकार के सीबीजी/बायोगैस संयंत्रों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करना; स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अन्तर्गत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट आधारित सीबीजी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करना उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत सीबीजी संयंत्रों से उत्पादित जैव-खाद को किण्वित जैविक खाद और तरल किण्वित जैविक खाद के रूप में शामिल करना; उर्वरक विभाग द्वारा सीबीजी परियोजनाओं से उत्पादित जैविक उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सम्बन्धी सहायता; केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर सीबीजी परियोजनाओं को 'श्वेत श्रेणी' में शामिल करना; आरबीआई द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण के अन्तर्गत सीबीजी परियोजनाओं को शामिल करना; सीबीजी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विभिन्न बैंकों से ऋण उत्पाद; आदि शामिल है।

इसके अलावा, सरकार ने सीजीडी नेटवर्क में सीएनजी के साथ सीबीजी के समन्वय से सम्बन्धित दिशानिर्देश जारी करने; नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क में सीबीजी के इंजेक्शन के लिए पाइपलाइन अवसंरचना (डीपीआई) के विकास के लिए योजना का आरम्भ करना; बायोमास एग्रेगेशन मशीनरी (बीएएम) की अधिप्राप्ति के लिए सीबीजी उत्पादकों को समर्थन देने की योजना का आरम्भ; और सीजीडी नेटवर्क के सीएनजी(टी) और पीएनजी(डी) क्षेत्र में सीबीजी के विक्रय के लिए चरणबद्ध अनिवार्य दायित्व जैसे उपाय किए हैं।

(ग): सरकार देश भर में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) और बायोडीजल मिश्रण कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। सरकार ने वर्ष 2014 से विभिन्न पहलें की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एथेनॉल उत्पादन के लिए एथेनॉल फीडस्टॉकों का विस्तार करना, ईबीपी कार्यक्रम के अन्तर्गत गन्ना आधारित एथेनॉल के लिए एक

प्रशासित मूल्य व्यवस्था की स्थापना करना, एथेनॉल पर जीएसटी दर को घटाकर 5% करना, शीरे और खाद्यान्न से एथेनॉल उत्पादन का समर्थन करने के लिए वर्ष 2018 और वर्ष 2022 के बीच एथेनॉल ब्याज अनुदान योजना (ईआईएसएस) का आरम्भ करना, आपूर्ति स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) द्वारा समर्पित एथेनॉल संयंत्रों (डीईपीज) के साथ दीर्घकालिक उठान समझौतों (एलटीओए) पर हस्ताक्षर करना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, उन्नत जैव ईंधन परियोजनाएँ स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री जी-वन (जैव ईंधन – वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) की अधिसूचना जारी की गई है। जैव डीजल के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के अन्तर्गत डीजल के साथ मिश्रण के लिए एक सांकेतिक लक्ष्य और प्रत्यक्ष विक्रय निर्धारित किया है, "परिवहन उद्देश्यों के लिए हाई-स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए जैव डीजल की बिक्री के लिए दिशानिर्देश - 2019, की अधिसूचना" और जैव डीजल की अधिप्राप्ति पर पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% आदि किया है।

इन मिश्रित ईंधनों को अपनाने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है, जिससे पर्यावरण में सुधार हुआ है।

(घ): भारत सरकार ने उच्च ऊर्जा खपत वाले उद्योगों को उनके कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में सहायता करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ, प्राकृतिक गैस, सीबीजी, जैव-एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, जैव-डीजल मिश्रित डीजल, एसएएफ (संधारणीय विमानन ईंधन) सहित स्वच्छ ईंधनों को बढ़ावा देना; ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के अन्तर्गत परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड (पीएटी) योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से उद्योगों में ऊर्जा दक्षता उपायों का क्रियान्वयन करना, जो ऊर्जा-गहन उद्योगों को अपनी दक्षता बढ़ाने और व्यापार के अतिरिक्त ऊर्जा बचत को विपणन योग्य प्रमाणपत्रों के रूप में प्रोत्साहित करने; यूरिया के उत्पादन के लिए सभी इकाइयों में फीडस्टॉक के रूप में प्राकृतिक गैस में परिवर्तित करने के कारण नेप्था/फ्यूल ऑयल/लो सल्फर हैवी स्टॉक (एलएसएचएस) के उपयोग को हतोत्साहित करना; राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अन्तर्गत नीतिगत पहलों के माध्यम से भावी स्वच्छ ईंधन के रूप में हरित हाइड्रोजन को अपनाने को प्रोत्सहित करना; नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के माध्यम से विद्युत की अधिप्राप्ति और भारतीय रेल में डीजल से विद्युत कर्षण की ओर स्थानांतरण आदि शामिल हैं। इसके अलावा, देश में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने ऑटोमैटिक रूट के अन्तर्गत 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति, दिनांक 30 जून 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय विक्रय के लिए अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) शुल्क की छूट, वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) के लिए ट्रेजेक्टरी की घोषणा, बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं को भूमि और ट्रांसमिशन प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना आदि जैसे विभिन्न उपाय किए हैं।

****